कार्यपालक सारांश

परिचय

क) 2030 कार्यसूची/एसडीजी

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70^{वं} सत्र (सितंबर 2015) में 'हमारी दुनिया को बदलनाः सतत् विकास के लिए 2030 कार्यसूची (एजेंडा)' शीर्षांकित संकल्प को अपनाया गया जिसमें 17 सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) और 169 संबंधित उद्देश्य शामिल हैं।

यह कार्यसूची प्रत्येक सरकार को राष्ट्रीय परिस्थितियों के आधार पर अपने राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करने की अनुमित देती है और यह तय करती है कि वैश्विक लक्ष्यों को राष्ट्रीय नियोजन प्रक्रियाओं, नीतियों और रणनीतियों में कैसे शामिल किया जाएगा। इस प्रक्रिया की सहायता के लिए, संयुक्त राष्ट्र विकास समूह ने 2030 कार्यसूची और एसडीजी को मुख्यधारित करने हेतु एक सन्दर्भ निर्देशिका तैयार की।

ख) भारत में 2030 कार्यसूची के लिए कार्यान्वयन फ्रेमवर्क

नीति आयोग को भारत में 2030 कार्यसूची के कार्यान्वयन के समन्वय और देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) को एसडीजी उद्देश्यों के लिए अनुवीक्षण संकेतकों को तैयार करने का काम सौंपा गया है। नीति आयोग ने विज़न और कार्यनीति दस्तावेजों को तैयार करने, विभिन्न विभागों के साथ लक्ष्यों और उद्देश्यों का प्रतिचित्रण करने एवं एसडीजी के कार्यान्वयन, अनुवीक्षण और मूल्यांकन के लिए संस्थागत क्षमताओं का निर्माण करने की सलाह देते हुए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तैयारियों में शामिल किया है।

ग) लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

इस लेखापरीक्षा का समग्र उद्देश्य 'एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु सरकार की तैयारी' की जांच करना था, जिसमें 2030 कार्यसूची को राष्ट्रीय संदर्भ में अनुकूलित किया जाना; संसाधनों और क्षमताओं को चिन्हित करना और उनका संग्रहण, और अनुवीक्षण तथा

एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी

रिपोर्ट करने की प्रगति हेतु प्रणाली का सृजन जैसे पहलू शामिल थे। राज्य स्तर पर तैयारियों का आकलन करने के लिए सात राज्यों का चयन किया गया था। इसके अतिरिक्त, लक्ष्य 3 'उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली' के संबंध में तैयारी को विस्तृत जांच हेतु चुना गया।

म्ख्य निष्कर्ष

इस जांच के प्रत्येक अहम क्षेत्र में एवं लक्ष्य 3 के संबंध में मुख्य निष्कर्ष अनुवर्ती खंडों में दिये गए हैं।

पहल विचारणीय विषय क) 2030 कार्यसूची का अनुकूलन 2030 कार्यसूची हेतु संस्थागत व्यवस्था (पैरा 2.2) नीति आयोग, जो एसडीजी के कार्यान्वयन के वर्ष 2020, 2025 और 2030 में प्राप्त

नीति आयोग, जो एसडीजी के कार्यान्वयन के लिए समन्वय और देखरेख हेतु प्रमुख (नोडल) अभिकरण के रूप में चिन्हित है, ने विभिन्न मुख्यधारण गतिविधियों का संचालन किया है। एसडीजी के कार्यान्वयन और विश्लेषण के लिए एक बहु-विषयक कार्यबल का गठन किया गया है। राज्यों ने एसडीजी के लिए प्रमुख अभिकरणों को चिन्हित किया है।

वर्ष 2020, 2025 और 2030 में प्राप्त किए जाने वाले एसडीजी उद्देश्यों के लिए परिभाषित मुख्य-पड़ाव के साथ एक कार्य योजना को अभी तक संरेखित किया जाना शेष है।

योजनाओं की समीक्षा एवं एसडीजी का अनुकूलन (पैरा 2.3)

नीति आयोग, जिसे विज़न, कार्यनीति और एक्शन एजेंडा दस्तावेजों की तैयारी और राष्ट्रीय उद्देश्यों को चिन्हित/आवंटन का काम सौंपा गया था, ने विस्तृत रूप से एसडीजी को प्रतिबिंबित करते हुए "तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा" और "अभिनव भारत @75 के लिए कार्यनीति" दस्तावेजों को जारी किया था, और लक्ष्यों/उद्देश्यों का प्रतिचित्रण किया था। इसी तरह के कार्य राज्यों द्वारा भी किए गए थे।

विज़न दस्तावेज अभी भी निर्माण अवस्था में है। राज्यों में नीति दस्तावेजों को तैयार किया जाना है। नीति आयोग और चयनित राज्यों में लक्ष्य/ उद्देश्यों का प्रतिचित्रण कार्य अभी भी जारी है।

एसडीजी के कार्यान्वयन हेत् तैयारी

¹ असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल

पहल विचारणीय विषय

जागरूकता को बढ़ाना एवं हितधारक की भागीदारी (पैरा 2.4)

नीति आयोग ने हितधारक कार्यशालाओं, परामशीं और बैठकों का आयोजन किया था। राज्य स्तर पर, जागरूकता बढ़ाने, हितधारकों को शामिल करने और कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के लिए पहल की गई थी।

एसडीजी के बारे में लोक जागरूकता बढ़ाने और चयनित राज्यों में शुरू की गई पहलें व्यापक, केंद्रित या निरंतर नहीं थी।

नीति सामंजस्यता (पैरा 2.5)

मौजूदा शासन संरचनाओं में नीति सामंजस्यता हेतु अंतर-मंत्रालयी एवं अंतर-अभिकरणीय तंत्रों का प्रावधान है। एसडीजी के लिए गठित बहु-विषयक कार्यबल में केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों का प्रतिनिधित्व था। इसके अतिरिक्त, राज्यों ने अंतर-संयुक्तता के लिए संस्थागत प्रणाली स्थापित करने की शुरुआत की थी। राज्यों को सहायक विभागों को चिन्हित करके, उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करके संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है।

ख) 2030 कार्यसूची के लिए संसाधन संग्रहण

एसडीजी हेत् वित्तपोषण और बजट (पैरा 3.2)

भारत सरकार ने घरेलू संसाधन संग्रहण² तथा व्यय दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार के उपायों को इष्टतम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा में तीन साल की सीमित अविध में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और निधि की क्षेत्रवार आवश्यकता को दर्शाया गया है।

कार्यनीति दस्तावेज़ में वित्तपोषण और बजट आवश्यकताओं को नहीं दर्शाया गया है। हालांकि यह माना जाता है कि 2030 तक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय संसाधनों को अनुमानित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, वित्त मंत्रालय और राज्य सरकारों के द्वारा एसडीजी के कार्यान्वयन के लिए, एसडीजी से संबंधित वित्तीय संसाधनों को राष्ट्रीय बजट में समेकित करना शेष है।

एसडीजी के कार्यान्वयन हेत् तैयारी

² काले धन की उत्पत्ति को रोकना एवं अवैध निधि प्रवाह का सामना करना, कराधान का विस्तार करना, अनुमानित और स्थिर कर नीति द्वारा निवेश को समर्थन देना

पहल विचारणीय विषय

ग) अन्वीक्षण तथा रिपोर्ट करना

अनुवीक्षण तथा रिपोर्ट करने हेतु संस्थागत व्यवस्था (पैरा 4.2)

नीति आयोग एसडीजी के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए ज़िम्मेदार है, जबिक सांख्यिकी मंत्रालय को राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) की तैयारी का काम सौंपा गया था। राज्यों ने आवश्यक अनुवीक्षण फ्रेमवर्कों की स्थापना के लिए भी पहल की थी।

एनआईएफ के अनुमोदन में विलंब होने की वजह से एसडीजी के कार्यान्वयन पर अनुवीक्षण और रिपोर्ट करने के फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने मे बाधा आई। चयनित राज्यों में शुरू की गई पहलें भी प्रगति पर थीं।

संकेतक, डाटा उपलब्धता, अन्वीक्षण तथा रिपोर्ट करना (पैरा 4.3)

306 संकेतकों से मिलकर बने एनआईएफ और उनके बेसलाइन डाटा को सांख्यिकी मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किया है। नीति आयोग ने एसडीजी के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति को मापने के लिए 62 प्राथमिकता संकेतक युक्त "एसडीजी भारत सूचकांकः बेसलाइन रिपोर्ट" भी जारी की है।

राष्ट्रीय संकेतकों के लिए मुख्य-पड़ाव को चिन्हित करने का कोई प्रस्ताव नहीं था। एनआईएफ में शामिल 306 संकेतकों में से 137 संकेतकों का डाटा अभी तक उपलब्ध नहीं था।

घ) लक्ष्य 3: उत्तम स्वास्थ्य और ख्शहाली

लक्ष्य 3 को समेकित करने हेतु संस्थागत व्यवस्था (पैरा 5.2)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच एण्ड एफडब्ल्यू) और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों को लक्ष्य 3 को प्राप्त करने के लिए प्रतिचित्रित किया गया था। राज्यों में प्रमुख (नोडल) विभागों या कार्य समूहों को निर्दिष्ट किया गया था।

चयनित राज्यों में लक्ष्य 3 के संबंध में व्यापक रूप से प्रतिचित्रण नहीं किया गया था।

पहल विचारणीय विषय

योजनाओं की समीक्षा तथा लक्ष्य 3 का अनुकूलन (पैरा 5.3)

तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित कई प्रमुख क्षेत्रों को शामिल करता है और मोटे तौर पर लक्ष्य 3 से संबंधित उद्देश्यों को दर्शाता है। 2017 में घोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) भी एसडीजी के आधारभूत महत्व को मान्यता देती है। राज्यों में, लक्ष्य 3 के अनुरूप योजनाओं और नीतियों को तैयार करने की कार्रवाई शुरू हुई है।

हालांकि राज्यों में लक्ष्य 3 के अनुसार योजनाओं और नीतियों को तैयार करने के संकेत थे, देरी और एक समग्र दृष्टिकोण का अभाव पाया गया।

जागरूकता को बढ़ाना एवं हितधारक की भागीदारी (पैरा 5.4)

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एमडीजी से एसडीजी में परिवर्तन पर राष्ट्रीय परामर्श और लक्ष्य 3 के लिए राज्य स्तर के सम्मेलनों का आयोजन किया था। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का उपयोग भी जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया।

लक्ष्य 3 से जुड़े तीन मंत्रालय³ राष्ट्रीय परामर्श में शामिल नहीं थे। राज्यों में लक्ष्य 3 के साथ जागरूकता और हितधारक की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट और निरंतर उपायों को नहीं देखा गया था।

नीति सामंजस्यता (पैरा 5.5)

स्वास्थ्य मंत्रालय ने समस्तरीय और उध्वीधर सामंजस्यता प्राप्त करने के लिए नीतिगत सामंजस्यता का समर्थन करते हुए कई पहलें की थीं। लक्ष्य 3 से जुड़े मंत्रालयों का कार्य बल और कार्य समूहों/उप-समूहों में प्रतिनिधित्व नहीं था। राज्यों में नीतिगत सामंजस्यता की पहलें या तो अनुपस्थित थीं या अपर्याप्त थी।

³ आयुष, जनजातीय कार्य तथा गृह।

पहल	विचारणीय विषय
लक्ष्य 3 हेतु संसाधन संग्रहण <i>(पैरा 5.6)</i>	
एनएचपी 2025 तक लोक स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने की परिकल्पना करता है। इसी तरह, तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2019-20 तक ₹ एक लाख करोड़ के केंद्रीय आवंटन की योजना है।	सार्वजिनक स्वास्थ्य व्यय के लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है और 2019-20 के लिए स्वास्थ्य हेतु केंद्रीय आवंटन उद्देश्य से बहुत कम था। राज्यों में, कुल खर्च के प्रतिशतता के रूप में स्वास्थ्य व्यय, 3.29 से 5.32 प्रतिशत तक था जो दर्शाता है कि इसके लिए पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता है।
लक्ष्य 3 हेतु अनुवीक्षण <i>(पैरा 5.7)</i>	
स्वास्थ्य मंत्रालय ने लक्ष्य 3 के अनुवीक्षण हेतु फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए एक कार्य समूह बनाया था।	कुछ स्वास्थ्य संकेतकों के लिए डाटा नियमित या समान रूप से उपलब्ध नहीं था।